राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1755/2012

नारायण सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
2. पुलिस महानिरीक्षक, कोटा रेंज, कोटा।
3. पुलिस अधीक्षक, कोटा शहर, कोटा।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 29.04.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता।

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.07.2010 (अनुलग्नक–4) को चुनौती दी है, जिस आदेश के द्वारा प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान की है।
2. अपीलार्थी ने इस अपील में यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की नियुक्ति उप निरीक्षक के पद पर आदेश दिनांक 10.04.1998 के द्वारा हुई थी। अपीलार्थी की सेवाएं संतोषजनक रही है। केवल कुछ लघु शास्तियों से अपीलार्थी को दण्डित किया गया है। अपीलार्थी को सीसीए नियम 17 के तहत आरोप पत्र दिनांक 12.05.2002 को दिया गया, जिसमें अपीलार्थी को आदेश दिनांक 04.09.2002 के द्वारा परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया। वर्ष 2006–07 में अपीलार्थी को एक अन्य आरोप पत्र सीसीए नियम 17 के तहत दिया गया, जिसमें अपीलार्थी को परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया। अपीलार्थी को केवल एक चार्जशीट 16 सीसीए नियम के तहत दिया गया है, जिसमें अपीलार्थी की तीन वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति से दण्डित किया गया है। शास्ति दिनांक 22.07.2009 को दी गयी, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत की थी, जो लम्बित है। अपीलार्थी की एपीएआर अच्छी रही है। अपीलार्थी को कुल 33 बार रिवॉर्ड/प्रशस्ति पत्र दिये गये हैं, परन्तु अपीलार्थी को दिये गये रिवॉर्ड/प्रशस्ति पत्रों को नजरअंदाज किया गया है। अपीलार्थी का सेवाभिलेख उत्तम रहा है। अपीलार्थी का वार्षिक

मुल्यांकन प्रतिवेदन अच्छा, संतोषजनक एवं सर्वोत्तम रहा है, जिस पर भी ध्यान नहीं दिया गया है एवं अपीलार्थी को गलत रूप से अनिवार्य सेवानिवृति प्रदान की गयी है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी को अनिवार्य सेवानिवृति प्रदान किये जाने से पूर्व राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 07.03.2001 की पालना नहीं की गयी है, जिसमें आवश्यक है कि अपीलार्थी को अनिवार्य सेवानिवृति प्रदान किये जाने से पूर्व उच्च स्तरीय तय समिति द्वारा स्वीकृति प्राप्त की जाए और आदेश जारी होने से पूर्व पत्रावली कार्मिक मंत्री को प्रस्तुत की जाए। अपीलार्थी ने अपने उपरोक्त तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत (2009) 13 एससीसी 758 स्वर्ण सिंह चन्द बनाम पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड प्रस्तुत किया है, जिसमें माना गया है कि अनिवार्य सेवानिवृति दिये जाने से पूर्व नियमों की पालना किया जाना आवश्यक है, क्योंकि परिपत्र नियम की श्रेणी में आता है।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि आदेश दिनांक 15–7–2010 पूर्णतः प्रशासनिक कारणों से अपीलार्थी को मिले दण्डों एवम् अपीलार्थी की कार्यशेली के कारण से सक्षम अधिकारी के द्वारा जनहित में अनिवार्य सेवानिवृत नियमानुसार किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई दुर्भावना अथवा नियमों का उल्लंघन नही है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 15–7–2010 के द्वारा मिले दण्डो एवं कार्यशेली एवं राजकार्यों में अरूचि के आधार पर प्रशासनिक कारणों के अन्तर्गत 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद राजस्थान सिविल सेवा पेन्शन नियम–1996 के नियम 53(1) के अन्तर्गत अनिवार्य सेवानिवृत 3 माह का नोटिस वेतन प्रदान करते हुए प्रदान की गई है। उक्त आदेश में किसी भी प्रकार की अनियमितता अथवा नियमो का उल्लघन नहीं है और अपीलार्थी किसी प्रकार की अनियमितता अथवा नियमो का उल्लघन स्थापित करने में असफल रहा है। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी का सेवाकाल कलंकित ही नहीं बल्कि निरन्तर कलंकित रहा है। अपीलार्थी को जो अनिवार्य सेवानिवृति दी गई है, वह आन्तरिक स्केनिंग कमेटी एवम रिव्यू कमेटी की सिफारिश के अनुसार ही प्रदान की गई है और राज्य सरकार के द्वारा बनाये गये नियमो के अनुसार नियमो की पालना करते हुए अपीलार्थी को जनहित में अनिवार्य सेवानिवृति दी गई है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से यह भी अंकित किया गया है कि अपीलार्थी को सेवाकाल में सीसीए नियम–17 के तहत 10 बार दण्डित किया गया है एवं एक बार सीसीए नियम–16 के तहत दण्ड से दण्डित किया गया है। इन समस्त दण्डों से दण्डित किये जाने की सूची जवाब में प्रस्तुत की गई है। प्रत्यर्थी

विभाग ने जवाब में यह भी अंकित किया है कि अपीलार्थी को मिले गये दण्डादेशों को ध्यान में रखते हुए स्क्रीनिंग कमेटी एवम् रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अनिवार्य सेवानिवृति दी गयी है। जिसमें किसी प्रकार की दुर्भावना अथवा नियमों का उल्लंघन नही है। यह भी अंकित किया है कि महानिरीक्षक पुलिस कोटा रेंज, कोटा द्वारा एवं पुलिस अधीक्षक कोटा शहर के पृष्ठांकन डी. ओ. बी. संख्या 691 दिनांक 27–7–2009 द्वारा थाना अन्ता जिला बांरा के अभियोग संख्या 19/2007 धारा 420, 467,468,471, 120 बी. आईपीसी में ठोस कार्यवाही करने हेतु फरियादी से 10 हजार रूपये की रिश्वत की मांग करके 3000/– रूपये उसी दिन प्राप्त कर लिये शेष 7000 /– रूपये ओर देने पर ही कार्यवाही करने की कहने पर फरियादी द्वारा इसकी शिकायत भ्रष्टाचार ब्यूरो बांरा में करने पर शिकायत का सत्यापन करने व सही पाये जाने पर कार्यवाही के दौरान शक हो जाने से कार्यवाही सफल नही हुई। विभागीय जांच से आरोप प्रमाणित पाये गये । यह भी अंकित किया है कि अपीलार्थी को जो भी पुरस्कार दिये गये हैं वे सामान्य श्रेणी के है जो कि सामूहिक रूप से आम पुलिसजन को दिये जाते है। कोई विशेष पुरस्कार नहीं दिया गया है।

4. हमने दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

5. प्रत्यर्थी विभाग ने अपने जवाब में अंकित किया है कि अपीलार्थी को सीसीए नियमों के तहत 11 बार दण्डित किया जा चुका है। इस तथ्य का कोई खण्डन अपीलार्थी ने नहीं किया है। जवाब में यह भी अंकित किया है कि अपीलार्थी की सम्पूर्ण सेवाकाल के रिकॉर्ड का भलीभांति अवलोकन एवं परीक्षण किया गया है एवं उसके पश्चात स्क्रिनिंग कमेटी एवं रिव्यू कमेटी की अनुशंषा के आधार पर सेवानिवृति प्रदान की गयी है। अपीलार्थी की ओर से यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी के संबंध में उच्च स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। प्रत्यर्थी विभाग ने उपरोक्त आपत्ति का खण्डन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति की बैठक की सहमति पत्र दिनांक 05.07.2010 अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिससे प्रकट होता है कि उच्च स्तरीय समिति से सहमति प्राप्त की गई है। उक्त पत्र दिनांक 05.07.2010 के अवलोकन से यह भी प्रकट होता है कि उच्च स्तरीय समिति का अनुमोदन सक्षम स्तर से प्राप्त किया गया है। अतः राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार विभाग के आज्ञा दिनांक 07.03.2001 की पालना किया जाना प्रकट होता है।

6. अनिवार्य सेवानिवृत्त के प्रकरणों में न्यायालय के द्वारा किन परिस्थितियों में हस्तक्षेप या पुर्नविलोकन किया जा सकता है, इस विषय में माननीय सर्वोच्च

न्यायालय के एक महत्त्वपूर्ण न्यायिक विनिश्चय 1992(2) एस.सी.सी. पेज 299 बैकुण्ठनाथ दास बनाम मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी, बरीपदा के प्रकरण में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किये गए हैंः–

i. अनिवार्य सेवानिवृत्ति कोई दण्ड नहीं है, यह कार्मिक पर कोई दाग नहीं होता है ना ही यह उसके दुर्व्यवहारी होने का अनुमान इंगित करने वाला होता है।

ii. इस हेतु सरकार को यह राय कायम करनी होती है कि किसी कर्मचारी को अनिवार्य सेवानिवृत्त करना लोकहित में है व उक्त राय के आधार पर आदेश पारित करना होता है। यह आदेश सरकार के विषयात्मक संतुष्टि (Subjective Satisfaction) के आधार पर जारी किया जाता है।

iii. अनिवार्य सेवानिवृत्त हेतु प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का कोई स्थान या भूमिका नहीं होती है परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि उक्त आदेश न्यायिक संवीक्षा से बाहर है। न्यायालयों द्वारा सेवानिवृत्ती के आदेश की समीक्षा अपीलीय न्यायालय की तरह नहीं की जा सकती है परन्तु यदि आलोच्य आदेश (A) दुर्भावनापूर्ण हो (B) बिना साक्ष्य आधारित हो (C) इस प्रकार का मनमाना हो कि युक्तियुक्त व्यक्ति भी यह अनुमान/राय बना ले कि उक्त आदेश मनमाना है अर्थात् दुराग्रहपूर्ण है।

iv. सरकार या रिव्यू कमेटी इस प्रकार का कोई भी निर्णय लेने से पूर्व कार्मिक का सम्पूर्ण सेवा रिकॉर्ड विचार में लेगी व उक्त रिकॉर्ड में भी बाद के वर्षो के रिकॉर्ड पर ज्यादा महत्व प्रदान किया जायेगा। इस रिकॉर्ड में कार्मिक का गोपनीय प्रतिवेदन/ चरित्र प्रतिवेदन (अनुकूल व प्रतिकूल दोनों ही) शामिल होते हैं। यदि किसी कार्मिक को किन्हीं प्रतिकूल प्रविष्टियों के उपरान्त भी उच्च पद पर पदोन्नत कर दिया जाता है तो ऐसी प्रविष्टियां अपनी प्रतिकूलता/विष–डंक खो देती है, वह भी उस स्थिति में अधिक जहां पर कि ऐसी पदोन्नति मेरिट पर, ना कि वरिष्ठता के आधार पर आधारित हो।

v. कोई न्यायालय केवल इस आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश को अपास्त नहीं कर सकता कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु जिन प्रतिकूल रिमार्क/प्रविष्टियों को विचारणार्थ लिया गया था, वे रिमार्क/प्रविष्टियां कर्मचारी को संसूचित नहीं की गयी थी।

इस प्रकार कोई न्यायालय अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश में हस्तक्षेप आधार संख्या (iii) में वर्णित आधार पर ही कर सकता है।

7. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में यह स्पष्ट है कि सेवानिवृति के मामले में सरकार को लोकहित में अपनी राय कायम करनी होती है, जो कि विषयात्मक संतुष्टि के आधार पर कायम की जानी होती है और ऐसा करने के लिए संपूर्ण सेवाभिलेख पर विचार करना होता है। प्रत्यर्थी विभाग के जवाब से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का सम्पूर्ण रिकॉर्ड देखा गया था, जिसमें 11 बार दण्डित किये जाने का भी रिकॉर्ड है। अपीलार्थी को पदोन्नति दिये जाने के आधार पर पुरानी शास्तियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टेट ऑफ पंजाब बनाम गुरदास सिंह के मामले में ((1998)4 एस.सी.सी–92) में यह प्रतिपादित किया है किः–

> "Any adverse entry prior to earning Promotion or crossing of efficiency bar or Picking up higher rank is not wiped out and can be taken into consideration while considering the overall performance of the employee during whole of his tenure of service whether it is in public interest to retain him in the service."

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त प्रतिवादित सिद्धांत के अनुसार यह स्पष्ट है कि पदोन्नति के पश्चात भी पुराने रिकॉर्ड को Wipe Out होना नहीं माना जा सकता है और कार्मिक का समस्त सेवाभिलेख देखा जाना उचित है। अपीलार्थी के सेवा रिकॉर्ड को देखकर स्क्रिनिंग कमेटी एवं रिव्यू कमेटी द्वारा जो निर्णय दिया गया है, उसे गलत होना नहीं माना जा सकता।
9. माननीय उच्चतम न्यायालय (1992)2 एस.सी.सी. 317 में पोस्ट टेलीग्राफ बोर्ड व अन्य बनाम सी एस एन मूर्ति की सिविल अपील संख्या 1299/1976 में पारित निर्णय दिनांक 26.03.1992 में यह प्रतिपादित किया गया है कि अंतिम वर्षों में दो प्रतिकूल प्रविष्टियां सक्षम समिति की संतुष्टि के लिए पर्याप्त थी। उक्त न्यायिक दृष्टांत के आधार पर हम यह मानते हैं कि लघु शास्ति के आदेशों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।
10. अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अपीलार्थी के अच्छे सेवाभिलेख पर गोर नहीं किया गया, जिसके सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग का कथन रहा है कि अपीलार्थी के समस्त सेवाभिलेख पर गौर किया गया है। आंतरिक स्क्रिनिंग कमेटी के समक्ष समस्त सेवाभिलेख भेजा जाता है। तुलनात्मक दृष्टि से यदि आंतरिक स्क्रिनिंग कमेटी यह पाती है कि अपीलार्थी के विरूद्ध जो शास्ति आदेश समय समय पर पारित किये गये हैं, उनके आधार पर अपीलार्थी को सेवा में रखना लोकहित में उचित नहीं है तो ऐसे निर्णय पर अधिकरण को हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। चूंकि मामले में आज्ञा दिनांक 07.03.2001

की पालना किया जाना प्रकट होता है। ऐसे में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत (2009) 13 एससीसी 758 स्वर्ण सिंह चन्द बनाम पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड का प्रतिपादन इस प्रकरण में लागू नहीं होता है।

11. हमारे मत में आंतरिक स्क्रिनिंग कमेटी व रिव्यू कमेटी द्वारा समग्र सेवाभिलेख पर विचार कर निर्णय लिया है। आंतरिक स्क्रिनिंग कमेटी के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई उचित आधार हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह नहीं माना जा सकता कि अपीलार्थी को अनिवार्य सेवानिवृत किये जाने के संबंध में कोई आधार मौजूद नहीं हो। हम यह पाते हैं कि ऐसे प्रकरणों में स्क्रिनिंग कमेटी के विवेक से लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

12. परिणामस्वरूप यह अपील खारिज किये जाने योग्य है। अतः यह अपील एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)